<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 29.03.2025</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कालेज के परिसर में ई-रिक्शा वाहन चालकों का किया गया पुलिस सत्यापन(वेरिफिकेशन)-</u>

<u>पुलिस प्रशासन ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों की पहचान उनके पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण, बीमा(इंश्योरेंस) इत्यादी दस्तावेज को चेक कर वाहन चालको का किया गया वेरिफिकेशन</u>

<u>वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।</u>

आज दिनांक 29.03.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कालेज गोण्डा परिसर में प्रातः 10.00 से 16.00 बजे तक ई-रिक्शा वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया गया। जिसमें जनपद गोण्डा के पुलिस प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों की पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण, बीमा(इंश्योरेंस) इत्यादि दस्तावेज को चेक कर ..... वाहन चालको का वेरिफिकेशन किया गया । ई-रिक्शा वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराने से कई प्रकार के अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा की ये चालक किसी अपराधिक गतिविधियों में शामिल या इन पर किसी प्रकार की कोई मुकदमें तो नही है। कुछ अपराधी चालक बनकर यात्रियों के सामान की चोरी या सुनसान इलाकों में लूटपाट, तस्करी, धोखाधड़ी, अपहरण, हिट एंड रन, नाबालिगों द्वारा अपराध, सड़क पर गुंडागर्दी और हिंसा आदि करते हैं। ऐसे अपराधियों की पहचान करने, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने, और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित होगी। महोदय द्वारा वाहन चालको को बताया गया कि यातायात नियमों के पालन करे। सभी वैध दस्तावेज(आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आर0सी0, इंश्योरेश इत्यादि) अपने साथ रखे। वाहन का बीमा अवश्य कराये तथा नम्बर प्लेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। ई-रिक्शा की निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को न बिठाएं। वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज न चलाए। ई-रिक्शा की बैटरी पूरी तरह चार्ज हो और सुरक्षित स्थिति में हो। यातायात नियमों, ट्रैफिक सिग्नल, संकेत और पुलिस के निर्देशों का पालन करे। नो पार्किंग जोन में ई रिक्शा खड़ा न करे। सड़क के बाईं ओर चलें और ओवरटेकिंग सावधानी से करें। जरूरत पड़ने पर ही हॉर्न का इस्तेमाल करें, अनावश्यक शोर न करें। यात्रियों के साथ विनम्रता से पेश आएं और निर्धारित किराया लें। यात्रियों को सुरक्षित रूप से बैठने में मदद करें और उनकी शिकायतों का सम्मान करें। किसी आपात स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। व्यस्त क्षेत्रों में धीरे और व्यवस्थित तरीके से वाहन चलाएं ताकि जाम न हो। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, वाहन जब्ती या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। पुलिस सत्यापन के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करें और जांच में सहयोग करें। सुनिश्चित करें कि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और नाबालिग को ई-रिक्शा न चलाने दें। वाहन चलाते समय शराब या नशीले पदार्थों का सेवन न करें।

इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर, EO नगर पालिका, आरटीओ, TSI आदि अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 29.03.2025

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली महाविद्यालय गोण्डा के छात्र/छात्राओं व स्टाफ को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये-नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच" अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 29.03.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा **सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली महाविद्यालय गोण्डा के छात्र/छात्राओं व स्टाफ** के साथ वर्कशाप का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा महोदय को बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रेजेंटेशन (PPT) के माध्यम से सभी को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी और बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है । इसी क्रम में ATM में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे OTP, CVV नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(X), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। अन्त में महोदय द्वारा सभी छात्र-छात्राओं व स्कूल के स्टाफ को साइबर वॉलंटियर बनाया गया तथा अपेक्षा की कि वर्कशॉप में दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस-पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इसी दौरान वर्कशाप में उपस्थित विद्यालय के छात्र/छात्राओं व स्टाफ को पम्पलेट वितरित किये गये तथा स्कूल के अन्य छात्रों को जागरुक करने हेतु पोस्टर एवं बुकलेट उपलब्ध करायी गयी।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें

02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।

03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।

05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।

06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।

07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।

08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।

09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।

10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।

11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 29.03.2025

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी करने के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी का मोबाईल बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-83/2025, धारा 305(ए), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त दूधनाथ गौतम पुत्र बृजलाल गौतम निवासी ग्राम उदयपुरग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को बेइलिया अडमलपुर ग्राम की तरफ जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद ओप्पो कम्पनी का मोबाइल फोन, 01 अदद आधार कार्ड बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.03.2025 को विशाल कोरी पुत्र श्री बब्बन कोरी निवासी ग्राम बेइलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि उसका ओप्पो कम्पनी का एण्ड्रायड मोबाइल फोन घर के बरामदा से विपक्षी दूधनाथ गौतम ने चोरी कर लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में सुसुंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रवीण सिंह द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 29.03.2025 को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्त अभियुक्त दूधनाथ गौतम पुत्र बृजलाल गौतम निवासी ग्राम उदयपुरग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को बेइलिया अडमलपुर ग्राम की तरफ जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद ओप्पो कम्पनी का मोबाइल फोन, 01 अदद आधार कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01.दूधनाथ गौतम पुत्र बृजलाल गौतम निवासी ग्राम उदयपुरग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-83/2025, धारा 305(ए), 317(2) बीएन0एस0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद ओप्पो कम्पनी का मोबाइल फोन।

02. 01 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रवीण सिंह

02. हे0का0 राजकरन यादव

03. का0 रजत सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।